<u>न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)</u>

पीठासीन अधिकारी— श्री राजेन्द्र विजय (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या 16/2018

बउनवान

रामगोपाल पुत्र रामचन्द्र जाति माली निवासी मउ तहसील मांगरोल जिला बारां (राज.)

(अपीलांट)

बनाम

1. मोहनलाल पुत्र बजरंगलाल जाति माली
2. रामकन्या पुत्री बजरंगलाल जाति माली
3. धन्नी बाई बेवा बजरंगलाल जाति माली निवासीगण मउ तहसील मांगरोल
4. राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां

(रेंस्पोडेंटगण)

<u>अपील विरूद्ध इन्तकाल नं. 336 दिनांक 27.01.83 (राजस्व अभियान) तहसीलदार (भू अभि.) तह. मांगरोल जिला बारां एवं इन्तकाल नं. 361 दिनांक 16.02.04 तहसील मांगरोल</u>

उपस्थिति :— 1. श्री महेश प्रकाश गौतम अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. श्री कमलदीप सिंह हाड़ा अभि0 **(रेस्पो. कम—1 व 2)**

<u>निर्णय दिनांक 10.11.2021</u>

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मांगरोल ने राजस्व अभियान के तहत दिनांक 27.01.83 को इन्तकाल नंबर 336 द्वारा वाके माल ग्राम मउ तहसील मांगरोल की आराजी कुल 15 रकबा 34 बी 5 बि. पांथ्या पुत्र आनन्दीलाल 1/2, बजरंगा पुत्र नाथू , रामगोपाल पुत्र रामचन्द्र हि0 1/2 की सम्मिलित खातेदारी में तथा खसरा नंबर 573/4 रकबा 12 बिस्वा पांथ्या वल्द आनन्दीलाल कौम माली के खाते की बाबत पांथ्या की मृत्यु हो जाने से फोती इन्ताकल खोलकर पांथ्या का लाऔलाद फौत होना मानकर एवं उसका एक मात्र भतीजा बजरंगलाल पुत्र नाथू मानकर मृतक पांथ्या के स्थान पर बजरंगलाल का नाम दर्ज खाता करने का आदेश पारित कर उसके नाम इन्तकाल खोला गया है एवं तत्पश्चात बजरंगलाल की मृत्यु हो जाने पर इन्तकाल नं. 361 दिनांक 16.02.04 रेस्पो. कम 1 ता 3 के नाम खोला गया जो विधि विरूद्ध एवं तथ्यों के विपरीत [illegible] इन्तकाल खोलते समय मृतक वारिसों के संबंध में पूर्ण जानकारी व जांच किये बिना बजरंगलाल के नाम इन्तकाल खोलकर भारी त्रुटि की है, क्योंकि वह एक मात्र वारिस नहीं है अपीलांट भी मृतक का वारिस है एवं उसकी आराजी में हिस्सा पाने का वैधानिक अधिकारी है। चूंकि इन्तकाल 336 ही त्रुटिपूर्ण व निरस्तनीय है इसलिये उसके आधार पर गलत दर्ज नाम बजरंगलाल के वारिसान का नाम इन्तकाल नं. 361 भी स्वतः ही गलत, विधि विरूद्ध व निरस्तनीय है। मृतक पांथ्या की खातेदारी की आराजी में अपीलांट का हिस्सा 1/2 है एवं उस पर वह काबिज है। अपीलांट एवं रेस्पोडेंट्स की आराजीयात आज तक भी सम्मिलित खातेदारी में

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.12.13 10:24:38 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

रही है, परन्तु कब्जा अलग अलग है एवं अपने अपने हिस्से पर काबिज हैं। आनन्दीलाल के दो पुत्र पांथ्या व नाथू थे, पांथ्या लाऔलाद फोत हो गया एवं नाथू के रामचन्द्र व बजरंगलाल हुए रामचन्द्र फोत हो गया एवं उसके पुत्र रामगोपाल (अपीलांट) है तथा बजरंगलाल के वारिस मोहनलाल पुत्र, रामकन्या पुत्री एवं धन्नीबाई बेवा (रेस्पोडेंटगण) जीवित हैं। इस प्रकार अपीलांट एवं रेस्पो. कम3 1 ता 3 पांथ्या के वारिस हैं। पांथ्या की जमीन में अपीलांट का 1/2 एवं रेस्पो. क्रम 1 ता 3 का 1/2 हिस्सा आता है एवं इसी प्रकार से काबिज काश्त हैं। अस्तु दोनो इन्तकाल निरस्तनीय है। रेस्पो. कमा 1 ता 3 के पिता व पति ने कपटपूर्वक चालाकी करके पांथ्या की जमीन अपने नाम दर्ज करवा ली क्योंकि उस समय अपीलांट नासमझ था पिता का पूर्व में ही स्वर्गवास हो गया था। अब रेस्पो. खातेदारी में उनका नाम होना बताकर अपीलांट की जमीन को छुड़ाने की धमकी देने लगे है तब अपीलांट को पता लगा। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर इन्तकाल नं. 336 दिनांक 27.01.83 एवं 361 दिनांक 16.02.04 को निरस्त फरमाया जाकर रिमाण्ड की जाकर बाद जांच पांथ्या के हिस्से व खाते की जमीन में 1/2 हिस्से में अपीलांट का नाम खातेदारी में दर्ज करवाने के आदेश प्रदान करें।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोडेटगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेंट क्रम–1 व 2 जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुये। तथा रेस्पो. कम 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रही। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गयी।

हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषक अपीलांट व रेस्पोंडेंट कम–1 व 2 की सुनी। बहस के दौरान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अपीलांट द्वारा जिस नामां. सं. 336 की अपील की गयी है वो अपीलांट से संबंधित नहीं होकर किसी अन्य का है। अतः अपील खारिज फरमावें। इस पर अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि सहवन से टंकण में नामां. सं. 338 के स्थान पर 336 अंकित हो गयी। अपील मेमो के साथ नामां. नं. 338 की प्रमाणित प्रति ही पेश की गयी है। अतः संशोधित नामां. सं. 338 दिनांक 27.01.83 पढा जाने के आदेश फरमावें। इस पर अभिभाषक अपीलांट का निवेदन स्वीकार कर संशोधन स्वीकार किया जाता है। हस्तगत प्रकरण नामां. सं. 338 दिनांक 27.01.83 एवं नामां. सं. 361 दिनांक 16.02.04 ग्राम मउ ही पढा जावेगा।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम मउ की प्रश्नगत आराजी के मूल खातेदार आनन्दीलाल के दो पुत्र पांथ्या व नाथू थे। पांथ्या लाऔलाद फोत हो गया नाथू के दो पुत्र रामचन्द्र व बजरंगलाल हुये। पांथ्या लाऔलाद फोत होने पर ब[illegible] मृतक पांथ्या के हिस्से की आराजी छलपूर्वक अपने नाम दर्ज [illegible] का नाम भी नामांतरकरण संख्या 338 दिनांक 27.01.83 में समभा[illegible] अपीलांट तत्समय नासमझ था तथा जानकारी नही होने से कोई उज्र पेश नहीं कर पाया। बजरंगलाल फोत होने पर मृतक पांथ्या के हिस्से की आराजी उसके वारिसान रेस्पो. कम 1 ता 3 के खाते दर्ज हो गयी। नामां. संख्या 338 राजस्व अभियान में खोला जाकर तस्दीक किया जाने से राजस्व कर्मियों को भी पांथ्या के वारिसान बाबत पूर्ण जांच करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ तथा पांथ्या के हिस्से की आराजी तनहा बजरंगलाल के खाते नामां. सं. 338 से दर्ज कर दी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.12.13 10:24:38 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर

स्थिति में उक्त नामां. तथा मृतक बजरंगलाल के फोत होने पर खोला गया नामां. सं. निरस्तनीय होने से निरस्त फरमाये जावे तथा प्रकरण तहसीलदार मांगरोल को पांथ्या वारिसान की पूर्ण जांच कर पुनः नामां. दर्ज करने हेतु रिमांड किया जावे।

दौराने बहस अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अपीलांट द्वारा हिस्से में आपत्ति की है तथा हिस्से में आपत्ति घोषणात्मक वाद के माध्यम से की जानी चाहिये। नामां. एक समरी ट्रायल है जिसके माध्यम से हिस्से की घोषणा नहीं की जा सकती। अपीलांट का पिता रामचन्द्र मृतक पांथ्या व नाथू के परिवार का नहीं था यह नाथू की पत्नि के साथ आया था इसलिये सम्पूर्ण आराजी में से रामचन्द्र को 1/4 हिस्से की भूमि जीवनयापन हेतु दी गई थी। अतः अपील खारिज फरमावें।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपात अवलोकन किया अपीलांट द्वारा प्रश्नगत आराजीयात में अपने हिस्से को अपील नामांन्तकरण के माध्यम से चुनौती दी है। चूंकि नामान्तकरण एक समरी ट्रायल व फिसकल (Fiscal) कार्यवाही है, जिसके माध्यम से हिस्से की घोषणा नहीं की जा सकती है। पक्षकारान के मूल अधिकार घोषणात्मक वाद में ही तय हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रकरण सारहीन होने से खारिज किया जाना हम न्यायोचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अपीलांट घोषणात्मक वाद पेश करने हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 10.11.2021 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज.)

(राजेन्द्र विजय)
जिला कलक्टर
जिला कलक्टर, बारां
बारां (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.12.13 10:24:38 IST
Reason: SelfAttested